10/7/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर न्यायालय द्वारा मनन किया गया। दौराने बहस अधि० ~~वादी~~ प्रार्थीगण द्वारा बताया गया कि वर्णित आराजी में सिर्फ प्रार्थीगणों का ही हक व अधिकार निहित है क्योंकि पूर्व में संयुक्त खातेदारी के बेचान के दौरान प्रतिवादीगणों बुद्धिप्रकाश व टीकमचंद के द्वारा अपने हिस्से की आराजी बेची जा चुकी है

तारीख व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिबल्स जज
	तथा प्रतिफल भी सिर्फ दोनों ने ही प्राप्त किया है एवं टीकमचंद के वारिसानों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के मुताबिक भी वर्णित आराजी को ओमप्रकाश के वारिसानों को हस्तांतरित किये जाने पर प्रतिवादी टीकमचंद के वारिसानों को कोई आपत्ति नहीं है। दौराने बहस अधि० अप्रार्थी के द्वारा बताया गया कि पूर्व में बेचान संयुक्त रूप से हुआ है तथा प्रतिफल भी संयुक्त रूप से ही लिया गया है। खातेदारी की भूमि का बेचान तब ही संपन्न होता है जब सभी खातेदारान संयुक्त बेचान करे। तथा वादीगण/प्रार्थीगण। द्वारा प्रस्तुत यादाश्त पारिवारिक समझौता जाली है एवं साक्ष्य योग्य नहीं है एवं रजिस्टर्ड भी नहीं है। जहां तक टीकमचंद के वारिसों के राजीनामे का प्रश्न है तो उनका हक अपने हिस्से तक ही निहित है।
	न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूदा तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष अधि० की बहस पर मनन किया गया। जिसके अनुसार वर्णित आराजी विवादित है जिसके संबंध में RTA 88 में न्यायालय में दावा विचाराधीन है। अत: वाद निस्तारण।

तक वादों की बहुलता को रोकने व प्रथम दृष्टया अपूर्णीय क्षति प्रतीत होने के कारण वाद निस्तारण तक वादीगणों / प्रार्थीगणों व प्रतिवादीगणों / अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी ख० नं० 1723 रकबा 0.80 है० ग्राम पलायथा तहसील अंता एवं ख० नं० 143 रकबा 0.66 है० ग्राम गोपालपुरा तहसील अंता में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।